

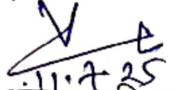
आदेश फलक

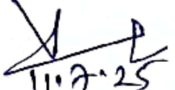
आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर विविध (जमाबंदी) वाद सं०-18/2005-26 बनाम मो० सैफुल हक, पिता- स्व० मो० हुसैन, ग्राम+पो०+थाना - मझगाँव।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपणी, तारीख सहित
11.07.2025	<u>आदेश</u> आवेदक मो० सैफुल हक, पिता-स्व० मो० हुसैन, ग्राम+पो०+थाना- मझगाँव, जिला- प० सिंहभूम के आवेदन के आलोक में इस अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। आवेदक के आवेदन के अनुसार उनके नाम से मौजा- मझगाँव, थाना नं० 364, खाता सं० 198, प्लॉट सं० 204, 205, रकबा- 09 डी०, 8 डी० जमीन रजिस्टर-II में ऑनलाइन दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदक मो० सैफुल हक ने अपने आवेदन के साथ बिक्री दलील सं० 3732, दिनांक 24.08.1976 की छायाप्रति, नामांतरण मु०सं० 128/2003-04 के शुद्धिपत्र की छायाप्रति एवं मुण्डा द्वारा निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है। आवेदन एवं संलग्न कागजातों के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई जिनका प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा-मझगाँव, थाना नं० 364, खाता सं० 198, प्लॉट सं० 204,205, रकबा-0.09,0.08 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान एवं पंजी II में सेख मवलाबक्स, पिता-सेख गम्भीर के नाम पर दर्ज होकर है जिसका जमाबंदी भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 9 में दर्ज है। आवेदित भूमि का बिक्री केवाला सं० 3732, दिनांक 24.08.1976 तथा नामांतरण मु०सं०:- 128/2003-04 के तहत क्रेता- श्री सैयफुल हक, पिता-स्व० महम्मद हुसैन ने अपने नाम पर नामांतरण करवा लिया तथा उक्त भू-खण्ड का वार्षिक लगान भी भुगतान कर रहे हैं जिसका लगान रसीद सं० JH/12 215233 दिनांक 26.09.2025 द्वारा वर्ष 2024-25 तक लगान भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों का अवलोकन राजस्व दस्तावेजों से किया तथा सही पाया। आवेदित भूमि का स्थलीय जांच किया और पाया कि क्रय किये गए भू खण्ड पर घर बनाकर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतः आवेदित भूमि का ऑनलाइन पंजी II में प्रविष्टि किया जा सकता है। प्रधान सहायक ने प्रतिवेदित किया है कि अंचल कार्यालय के पंजी 27 से आवेदक द्वारा संलग्न शुद्धि पत्र का छायाप्रति से मिलान किया, केस नं० 128/2003-04 का नामांतरण स्वीकृत है। आम इश्तेहार का तामिला कराया गया। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा प्रधान सहायक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक मो० सैफुल हक, पिता-स्व० मो० हुसैन ने बिक्री दलील सं० 3732, दिनांक 24.08.1976 के द्वारा विक्रेता- महम्मद	

अताउल्लाह, पिता- स्व० मौलावक्स, ग्राम+थाना- मझगाँव से मौजा-मझगाँव, खाता सं० 198, प्लॉट सं० 204, 205, रकवा- 09 डी०, 8 डी० भूमि क्रय किया है जिसका नामांतरण मु०सं०-128/2003-04 द्वारा नामांतरण स्वीकृत है और क्रेता के नाम से मुण्डा द्वारा लगान रसीद निर्गत है। अतः उक्त आलोक में आवेदित भूमि को क्रेता- मो० सैफुल हक, पिता- स्व० मो० हुसैन के नाम से ऑनलाइन प्रविष्ट करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं० 09, भाग सं० 01 में मूल रैयत सेख मवलाबक्स, पिता-सेख गम्भीर की जमाबंदी से प्लॉट सं० 204 का कुल रकवा-0.09 ए० तथा प्लॉट सं० 205 का कुल रकवा-0.08 ए० घटाकर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

152/1

लेखापित एवं
संशोधित


11.7.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।


11.7.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।